

कार्यालय सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग, उदयपुर

सूरजपोल, उदयपुर E-Mail Id:- ac.udaipur.dev@rajasthan.gov.in Tel. No- 0294-2420546

क्रमांक :- एफ 3(22)लेखा/देव/धर्मशाला सेवेत्री/2024-25/ 3967

दिनांक :- 4/11/25

ई-निविदा सूचना संख्या 09/2025-26

देवस्थान विभाग के स्वामित्व की अधीन संपदा देवदर्शन विश्रांतिगृह एवं राम कुण्ड के पास स्थित धर्मशाला मय पार्किंग ग्राम सेवेत्री तहसील चारभुजा जिला राजसमंद - राज0 को 15 वर्ष के लिये संचालन व संधारण प्रक्रिया स्वरूप लीज/ठेका पर देने हेतु इच्छुक व्यक्तियों/ फर्मों/कम्पनी से देवदर्शन विश्रांतिगृह, ग्राम सेवेत्री, तहसील चारभुजा जिला राजसमंद - राज0 (आरक्षित मूल्य 3,32,700/- रुपये (अक्षरे तीन लाख बत्तीस हजार सात सौ रु मात्र) वार्षिक के संदर्भ में ऑनलाइन ई-निविदा प्रक्रिया के अन्तर्गत नीलामी / बोली दर आमंत्रित की जाती हैं। जिसकी विस्तृत जानकारी वेबसाइट www.eproc.rajasthan.gov.in एवं www.sppp.rajasthan.gov.in तथा विभागीय वेबसाइट www.devasthan.rajasthan.gov.in पर देखी/ डाउनलोड की जा सकती है।

इस हेतु प्री-बिड मीटिंग सहायक आयुक्त कक्ष कार्यालय सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग, होटल देवदर्शन सूरजपोल, उदयपुर में दिनांक 07.11.2025 समय प्रातः 11.30 बजे पर रखी गयी है।
UBN NO.....

सहायक आयुक्त
देवस्थान विभाग
उदयपुर

क्रमांक :- एफ 3(22)लेखा/देव/धर्मशाला सेवेत्री/2024-25/ 3968-95

दिनांक :- 4/11/25

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को वास्ते सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित/प्रस्तुत है।

1. निजी सचिव माननीय मंत्री महोदय, देवस्थान विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव शासन सचिव, महोदय, देवस्थान विभाग राजस्थान जयपुर।
3. श्रीमान् संभागीय आयुक्त, संभाग उदयपुर
4. श्रीमान् आयुक्त, देवस्थान विभाग राजस्थान उदयपुर को सूचनार्थ एवं निवेदन है कि उक्त संपदा को लीज पर देने हेतु निविदा प्रक्रिया हेतु मुख्यालय से मनोनित सहायक लेखाधिकारी प्रथम/द्वितीय को निविदा प्रक्रिया हेतु भिजवाने का श्रम करावे।
5. श्रीमान् जिला कलेक्टर महोदय राजसमंद को सूचनार्थ प्रेषित है।
6. श्रीमान् शासन उप सचिव, देवस्थान विभाग राजस्थान, जयपुर।
7. श्रीमान् कोषाधिकारी, कोष कार्यालय जिला राजसमंद
8. श्रीमान् वित्तीय सलाहकार, देवस्थान विभाग राजस्थान, उदयपुर।
9. तहसीलदार चारभुजाजी को निविदा कार्यवाही हेतु श्रीमान् जिला कलेक्टर महोदय राजसमंद के पत्र क्रमांक प040()सा.प्र./देवस्थान/संपदाओं प्रतिनिधि/2025/77/दिनांक 27.01.2025 के क्रम में निविदा खोली जाने हेतु नियत दिनांक को उपस्थित होने बाबत।
10. अध्यक्ष होटल एसोसियेशन राजस्थान, उदयपुर।
11. जिला सूचना एवं जन संपर्क अधिकारी, सूचना केंद्र उदयपुर/राजसमंद
12. प्रोग्रामर कार्यालय आयुक्त, देवस्थान विभाग, राजस्थान - उदयपुर को प्रेषित कर लेख है कि निविदा/बिड प्रपत्र विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करवाने का श्रम करावे।
13. श्रीमान् सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग बीकानेर/अजमेर/भरतपुर/जोधपुर / ऋषभदेव/कोटा / वृन्दावन/ हनुमानगढ़/जयपुर प्रथम/जयपुर द्वितीय नोटीस बोर्ड चस्पा एवं प्रचार प्रसार बाबत।
14. नोटिस बोर्ड मुख्यालय/ कार्यालय हाजा / मंदिर श्री रूपनारायण जी सेवेत्री नोटिस बोर्ड चस्पा नगी हेतु।

सहायक आयुक्त
देवस्थान विभाग
उदयपुर

Signature valid

Digitally signed by Jatin Kumar Gandhi

Designation : Assistant Commissioner

Date: 2025.11.04 11:26:02 IST

Reason: Approved



RajKaj Ref No.:
18633190

HOTEL LEASE

कार्यालय सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग, उदयपुर

सूरजपोल, उदयपुर E-Mail Id:- ac.udipur.dev@rajasthan.gov.in Tel. No- 0294-2420546

क्रमांक :- एफ3(22)लेखा/देव/धर्मशाला सेवंत्री/2024-25/

दिनांक :-

ई-निविदा सूचना संख्या 09/2025-26

देवस्थान विभाग के स्वामित्व की अधीन संपदा देवदर्शन विश्रांतिगृह एवं राम कुण्ड के पास स्थित धर्मशाला मय पार्किंग ग्राम सेवंत्री तहसील चारभुजा जिला राजसमंद - राज0 , को 15 वर्ष के लिये संचालन व संधारण प्रक्रिया स्वरूप लीज/ठेका पर देने हेतु इच्छुक व्यक्तियों/फर्मों/कम्पनियों से निम्न विवरण अनुसार ऑनलाइन ई-निविदा प्रक्रिया के अन्तर्गत बोली दरें आमंत्रित की जाती है :-

क्र.सं.	धर्मशाला/विश्रांतिगृह का स्थान व अन्य विवरण	अनुमानित राशि (आरक्षित मूल्य)	निविदा शुल्क (रुपये में)	बोली धरोहर राशि ड्राफ्ट (रुपयों में) 2 %	ई-निविदा प्रक्रिया शुल्क रु. में
1	2	3	4	5	6
1	देवदर्शन विश्रांतिगृह, एवं राम कुण्ड के पास स्थित धर्मशाला मय पार्किंग ग्राम सेवंत्री, तहसील चारभुजा जिला राजसमंद - राज0 को लीज पर दिये जाने हेतु।	3,32,700 /- रुपये वार्षिक	500 /-	6660 /-	500 /-
बिड संख्या UBN NO.					
बोली दस्तावेज ऑन लाईन डाउनलोड करने की दिनांक, समय एवं दस्तावेज के प्रस्तुत करने की विधि प्री बीड मीटींग की दिनांक समय व स्थान		दिनांक 05.11.2025 सायं 2.00 बजे से बोली प्रस्तुत करने की विधि (Online at Eproc website) सहायक आयुक्त कक्ष कार्यालय सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग, होटल देवदर्शन सूरजपोल, उदयपुर में दिनांक 07.11.2025 समय प्रातः 11.00 बजे			
बोली शुल्क, धरोहर राशि, प्रोसेसिंग फीस के चालान प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि एवं समय (निविदा हेतु चालान दिनांक 05.11.2025 समय दोपहर 2.00 बजे से पहले के बने हुए होने चाहिये)		दिनांक 18.11.2025 सायं 6.00 बजे तक कार्यालय सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग होटल देवदर्शन परिसर सूरजपोल उदयपुर			
बोली दस्तावेज भरने ऑन लाईन (अपलोड) करने की प्रारम्भ व अन्तिम दिनांक व समय		दिनांक 05.11.2025 सायंकाल 5.00 बजे से दिनांक 18.11.2025 समय दोपहर 2.00 बजे तक			
तकनीकी बिड खोले जाने की तिथि एवं समय व स्थान		दिनांक 19.11.2025 समय प्रातः 11.00 बजे से कार्यालय सहायक आयुक्त देवस्थान सूरजपोल उदयपुर			
वित्तीय बिड खोलने की दिनांक व समय व स्थान		तकनीकी रूप से सफल बोलीदाताओं को वित्तीय बिड खोलने के संबंध में पृथक से सूचना दी जाएगी। वित्तीय बिड सलंगन प्रपत्र एच में भरी जाएगी।			

सहायक आयुक्त

Signature valid

Digitally signed by Jateen Kumar Gandhi

Designation : Assistant Commissioner

Date: 2025.11.04 11:26:02 IST

Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
18633190

1. ई- निविदा में भाग लेने की शर्तें-

1. यह निविदा वेबसाइट www.sppp.rajasthan.gov.in तथा विभागीय वेबसाइट www.devsthan.rajasthan.gov.in पर देखी/डाउनलोड की जा सकती है। नीलामी में भाग लेने हेतु वेबसाइट www.eproc.rajasthan.gov.in पर द्वि-भाग बोली सम्बन्धी निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण करते हुए, वेबसाइट पर उपलब्ध इलैक्ट्रॉनिक फारमेट के माध्यम से ही ऑनलाईन सम्बन्धित अभिलेख अपलोड एवं नीलामी दर प्रस्तावित किये जा सकेंगे।
 2. निविदा प्रपत्र वेबसाइट [http:// www.eproc.rajasthan.gov.in](http://www.eproc.rajasthan.gov.in) पर निर्धारित दिनांक एवं समय तक डाउनलोड/अपलोड करवाया जा सकता है एवं इलैक्ट्रॉनिक फारमेट में वेबसाइट [http:// www.eproc.rajasthan.gov.in](http://www.eproc.rajasthan.gov.in) पर अपलोड किये गए प्रस्ताव प्रथम चरण में तकनीकी बिड निर्धारित दिनांक एवं समय पर समिति द्वारा खोली जाएगी। तकनीकी बिड के मुल्यांकन में योग्य पाये गये व्यवसायियों /फर्मों की वित्तीय बिड खोलने के संबंध में पृथक से सूचना दी जाएगी।
 3. निविदा सूचना सारणी के कॉलम 4 व 5 में दर्शाई गई बोली शुल्क व धरोहर राशि का चालान सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग उदयपुर के पक्ष में उदयपुर में एवं क्रम संख्या 6 में अंकित प्रक्रिया ईग्रास द्वारा चालान मैनेजिंग डायरेक्टर आर.आई.एस.एल. जयपुर के पक्ष में जयपुर में भुगतान योग्य निम्नानुसार बनवाकर राशि जमा करवानी होगी उक्त तीनों चालान की प्रति आनलाईन निविदा दस्तावेज के साथ अपलोड करनी होगी आवश्यक होगी। तथा एक प्रति निर्धारित दिनांक एवं समय तक अद्योहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से जमा करानी आवश्यक है।
 4. बोली प्रतिभूति राशि, बोली प्रपत्र शुल्क एवं आर.आई.एस.एल. प्रोसेसिंग फीस E-GRAS चालान के माध्यम से चालान जिला लोकेशन-उदयपुर शहर, विभाग- देवस्थान विभाग एवं कार्यालय का नाम- सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग, उदयपुर के पक्ष में निम्न विवरणानुसार जमा कराई जानी होगी।
- | क्र.स. | राशि का विवरण | राशि | बजट मद | देय | देय स्थान |
|--------|-------------------------------|---------|-------------------|--|-----------|
| 01- | निविदा प्रपत्र शुल्क | 500 /- | 0075-00-800-52-01 | Assistant commissioner Devasthan
Department Udaipur | Udaipur |
| 02- | अमानत राशि/
प्रतिभूति राशि | 6660 /- | 8443-00-103-00-00 | Assistant commissioner Devasthan
Department Udaipur | Udaipur |
| 03- | प्रोसेसिंग फीस | 500 /- | 8658-00-102-16-01 | MD Risl Jaipur | Jaipur |
5. किसी भी बोली/बोली को स्वीकार करने एवं बिना कारण बताये निरस्त करने के समस्त अधिकार आयुक्त देवस्थान विभाग के पास सुरक्षित है।
 6. निर्धारित दिनांक को बोली खोलने के उपरान्त प्रस्तावित दर पर कार्य में असमर्थता या दर में संशोधन स्वीकार्य नहीं होगा। ऐसा होने पर धरोहर राशि जम्मा/शास्ति एवं आगामी बोली से वंचित/अयोग्य आदि की नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

Signature valid

Digitally signed by Jateen Kumar
Gandhi
Designation : Assistant Commissioner
Date: 2025.11.04 11:26:02 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
18633190

7. ई-निविदा प्रक्रिया में भाग लेने हेतु अन्य आवश्यक निर्देश।

- (अ) इस कार्य में रुचि रखने वाले एव निलामी में भाग लेने के इच्छुक व्यक्तियों/ फर्मों/कम्पनियों को इन्टरनेट साईट [http:// www. eproc.rajasthan.gov.in](http://www.eproc.rajasthan.gov.in) पर रजिस्टर करवाना होगा। ऑन लाइन बोली में भाग लेने के लिए डिजिटल सार्टिफिकेट, इन्फोरमेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के तहत प्राप्त करना होगा जो इलैक्ट्रॉनिक बोली में लॉग-ईन/साईन करने हेतु काम आयेगा। बोलीदाता उपरोक्त डिजिटल सार्टिफिकेट सी.सी.ए. (CCA) द्वारा स्वीकृत एजेंसी से प्राप्त कर सकते हैं। जिन बोलीदाताओं के पास पूर्व में वैध डिजिटल सार्टिफिकेट है, नया डिजिटल सार्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है।
- (ब) निविदादाताओं को बोली प्रपत्र इलैक्ट्रॉनिक फारमेट ' (शुल्क, तकनीकी, वित्तीय आदि) में वेबसाइट पर डिजिटल साईन के साथ प्रस्तुत करना होगा। अन्यथा बोली अमान्य होगी। कोई भी निलामी प्रस्ताव भौतिक रूप में स्वीकार नहीं होगा।
- (स) इलैक्ट्रॉनिक निविदा प्रपत्र को अपलोड कराने से पूर्व बोलीदाता यह सुनिश्चित कर लेवे की निविदा प्रपत्र से सम्बन्धित सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्वयं हस्ताक्षर युक्त स्कैन प्रतिलिपि संलग्न कर दी गई है। यथा (शुल्क की फोटोप्रतियां, पहचान पत्र, पेन कार्ड, पंजीयन प्रमाण पत्र, जी.एस.टी. प्रमाण पत्र, गत तीन वर्ष का टर्नओवर (बेस प्राईस का दो गुना)विगत तीन वर्षों का आई. टी. आर. सी.ए. द्वारा अंकक्षित बैलेंस शीट अन्य वांछित दस्तावेज एवं शुल्क के डी डी इत्यादि।)
- (द) निर्धारित दिनांक तक कोई निविदादाता निविदा में विगत 3 वर्षों का ITR व CA द्वारा अंकक्षित बेलेन्स शीट दस्तावेज इलैक्ट्रॉनिकली अपलोड कराने में किसी कारण से असफल/देरी हो जाती है तो उसका जिम्मेवार विभाग नहीं होगा।
- (र) बोली के प्रपत्रों में आवश्यक सभी कॉलमों को सम्पूर्ण रूप से भरकर ऑन लाइन किया जावे।
8. उक्त निलामी में GF&AR,RTPPAct 2012 & Rules 2013,धर्मशाला नीति एवं समय-समय पर जारी अन्य विभागीय नियम व निर्देश कानून स्वतः लागु होंगे।

हस्ताक्षर मय सील बोलीदाता

Signature valid

Digitally signed by Jateen Kumar
Gandhi
Designation : Assistant Commissioner
Date: 2025.11.04 11:26:02 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
18633190

देवस्थान विभाग की धर्मशालाओं का लीज अनुबंध पर संचालन करने हेतु राजकीय आत्मनिर्भर मंदिर श्री रूपनारायण जी सेवंत्री संबंधित देवदर्शन विश्रांतिगृह एवं राम कुण्ड के पास स्थित धर्मशाला मय पार्किंग ग्राम सेवंत्री तहसील चारभुजा जिला राजसमंद - राज0 को लीज अनुबंध पर आमंत्रित की जाने वाली निविदा की शर्तें एवं प्रारूप

1. देवस्थान विभाग के अंतर्गत संचालित देवदर्शन विश्रांतिगृह एवं राम कुण्ड के पास स्थित धर्मशाला मय पार्किंग को 15 वर्ष के लिए लीज राशि पर संचालन हेतु दिये जाने बाबत निविदा आमंत्रित की जा रही है।
2. लीज राशि का भुगतान :- विभागीय धर्मशाला नीति 2021 के अन्तर्गत स्वीकृत निविदा राशि के अनुसार 5 प्रतिशत प्रतिभूति राशि सफल संवेदक की उसी समय जमा की जायेगी। सफल बोली दाता को वार्षिक लीज राशि की 5 प्रतिशत धरोहर राशि (निविदा के साथ प्रस्तुत अमानत राशि को शामिल करते हुए) जमा करवानी होगी। तथा तीन माह की अनुमोदित लीज राशि अग्रिम रूप देय होगी। जा कि किसी कारण वश निविदा/दर अस्वीकृत होने पर लोटा दी जावेगी जिस पर किसी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा। तथा इसके आगे कुल वार्षिक लीज राशि में से प्रत्येक 3 माह की राशि भी अग्रिम रूप देय होगी। निर्धारित राशि देय होने के पूर्व माह की 10 तारीख तक देय राशि जमा कराना अनिवार्य होगा। लीज राशि अग्रिम रूप से समय पर जमा नहीं करने पर संबंधित सहायक आयुक्त, संबंधित लीजधारक को नोटिस जारी करेगा इस पर भी राशि जमा नहीं करने पर लीज समाप्ति बाबत अपनी अनुशंसा आयुक्त को भेजेगा आयुक्त लीज धारक का पक्ष सुनकर यदि राशि जमा नहीं होती है तो लीज समाप्त कर सकेगा। उदाहरणार्थ अगर वार्षिक लीज राशि 12000 रूपये है और लीज अवधि प्रारम्भ होने का माह जनवरी है, तो 3000 रूपये अग्रिम लीज निविदा स्वीकृत राशि जमा करवानी होगी तथा जनवरी से मार्च की राशि 3000 रूपये अग्रिम जमा होगी इसके बाद अप्रैल से जून त्रैमास की लीज राशि 10 फरवरी तक जमा करवानी होगी। आगामी अवधि में उक्त गणना अनुसार राशि जमा करवानी होगी। समय पर राशि जमा नहीं करवाये जाने पर GF&AR एवं धर्मशाला नीति में प्रावधानुसार शास्ती एवं ब्याज वसूलनीय होगा।

Signature valid

Digitally signed by Jateen Kumar
Gandhi
Designation : Assistant Commissioner
Date: 2025.11.04 11:26:02 IST
Reason: Approved

3. लीज राशि में वृद्धि :- एक बार संचालन हेतु बोली की जो राशि और अवधि तय होगी, उस अवधि को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। यदि किसी आकस्मिक या प्रशासनिक कारण से अग्रिम बोली की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो पाती, तो रेंट कंट्रोल एक्ट के विद्यमान प्रावधान अनुसार वार्षिक किराये में 5 प्रतिशत किराये में वृद्धि के प्रावधान को मार्गदर्शक मानते हुए वर्तमान लीज धारक द्वारा देय राशि पर 5 प्रतिशत वृद्धि करते हुए आगामी लीज प्रक्रिया पूर्ण होने तक वर्तमान लीज धारक को संचालन की अनुमति दी जा सकेगी।

वार्षिक लीज राशि में वृद्धि-अनुमोदित वार्षिक लीज राशि प्रतिवर्ष 5 प्रतिशत की दर से बढ़ेगी। लीज अनुमोदन के 10 वर्ष उपरान्त इस 50 प्रतिशत बढ़ोतरी को मूल लीज राशि में जोड़ा जाएगा तथा 11वें वर्ष से इस जुड़ी हुई राशि पर 5 प्रतिशत वृद्धि होगी।

4. धर्मशाला में व्यवस्था संबंधी प्रावधान :-

1. संपदा जैसी स्थिति में हो, वैसी स्थिति में दी जाएगी। विभाग किसी प्रकार की मरम्मत परिवर्तन आदि के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। विभाग द्वारा अनुबंधकर्ता को संभलाई जाने वाली सामग्री की लिखित सूची प्रदान की जाएगी, जिसे उसे अच्छी स्थिति में वापस करना होगा। इसमें कन्ज्यूमेबल आइटम्स की पृथक से सूची बनायी जा सकेगी, जिसे वेव-ऑफ किया जा सकेगा। लीज धारक द्वारा यदि संपदा का मूल्य संवर्धन किया जाता है तो उस पर विभाग का अधिकार रहेगा जिसके लिए लीज धारक को कोई मूल्य विभाग द्वारा नहीं चुकाया जावेगा।
2. अनुबंधकर्ता को संपदा के साइन बोर्ड के उपर स्पष्ट रूप से देवस्थान विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम साईज की पट्टी पर 'देवस्थान विभाग, राजस्थान सरकार की संपदा' लिखना आवश्यक होगा। देवस्थान विभाग द्वारा संपदा का समुचित नामकरण किया जा सकेगा। अनुबंधकर्ता द्वारा धर्मशाला का कोई भी सारवान भाग sublet नहीं किया जा सकेगा/नाही Partership Firm में किसी को भविष्य में सहयोगी बनाया जा सकेगा। अन्यथा लीज निरस्त की जा सकेगी।
3. अनुबंधकर्ता संपदा के स्वरूप में कोई भी परिवर्तन एवं परिवर्धन विभाग की अनुमति से ही करायेगा इसके लिये सहायक आयुक्त के मार्फत आयुक्त को व्यक्तिशः आवेदन करना होगा। सहायक आयुक्त आवेदन का अधिकतम 15 दिवस में आयुक्तालय प्रेषित करेगा। आवेदन करने के 60 दिवस में अनुमति मिलने/नहीं मिलने की दशा में संपदा अनुमति

Signature valid

Digitally signed by Jatin Kumar
Gandhi
Designation : Assistant Commissioner
Date: 2025.11.04 11:26:02 IST
Reason: Approved

मानी जायेगी किन्तु स्वतः अनुमति तभी प्रभावी होगी जब इसकी सूचना लीजधारक 60 दिवस की समाप्ति पर सहायक आयुक्त को दे देगा। संपदा की साधारण रंगाई, सफेदी एवं मरम्मत अनुबंधकर्ता स्वयं के व्यय पर करा सकेगा। अनुबंधकर्ता को संपदा की समुचित साफ-सफाई के साथ-साथ परिसर में वृक्षारोपण / गमले में फूल लगाने और उनकी देखभाल की व्यवस्था करनी होगी। आवश्यकतानुसार रुफ वाटर/रेन वाटर हार्वेस्टिंग की सुविधा उसकी स्वयं की लागत पर विकसित करने की सुविधा दी जा सकेगी।

4. राज्य सरकार की बजट घोषणा अनुसार राजस्थान से बाहर अवस्थित धर्मशाला में राजस्थान के मूल निवासी जो कि BPL कार्ड धारक है, के लिये ठहरने की निशुल्क व्यवस्था करनी होगी।
5. अनुबंधकर्ता को संपदा में निम्न सुविधायें रखनी आवश्यकता होंगी :-
 - रिसेप्शन काउंटर उपयुक्त सुविधा व मानव संसाधन सहित
 - शिकायत/ फीडबैक पुस्तिका
 - शिकायत/ फीडबैक पेटिका
 - कमरे, भोजन व अन्य सुविधा/ सामग्री की दर (प्रमुखता से दृश्य रूप में)
6. अनुबंधकर्ता द्वारा यदि अतिरिक्त सुविधा के रूप में कोई सामग्री या सेवा प्रदान की जाती है तो वह इस हेतु स्वयं के स्तर पर दर न रखकर विभाग से अनुमोदित दर ही रखेगा। एक्सट्रा बेड के लिए कमरे के किराए का एक चौथाई वसूल किया जा सकेगा। डोरमेटरी हेतु एक्सट्रा बेड का कोई प्रावधान नहीं होगा। विभाग द्वारा अधिकतम तय किराया निम्नानुसार है। तथा यदि शासकीय नियमानुसार कोई देय है तो वह इसमें जोड़ा जा सकेगा। उक्त प्रभार डबल रूम का होगा। अतिरिक्त बेड का 25 प्रतिशत अतिरिक्त होगा।

		प्रथम 5 वर्ष तक	5 वर्ष उपरान्त (10 वर्ष तक)	10 वर्ष उपरान्त
A	डोरमेट्री	150 /- प्रतिदिन	200 /- प्रतिदिन	250 /- प्रतिदिन
B	सामान्य रूम	500 /- प्रतिदिन	625 /- प्रतिदिन	750 /- प्रतिदिन
C	वीआईपी/डिलक्स/सुपर डिलक्स	4000 /- प्रतिदिन	5000 /- प्रतिदिन	6000 /- प्रतिदिन

नोट:- देवदर्शन विश्रांति गृह हेतु नीचे का भाग (प्रथमतः) को लीज हेतु शामिल नहीं किया गया है। इस हेतु लीज पर दिये जाने वाली संपदा का नक्शा व विवरण निविदा के साथ संलग्न है तथा विस्तृत जानकारी के लिये कार्यालय हाजा में किसी भी कार्य दिवस उपस्थित होकर देखी जा सकती है।

Signature valid

Digitally signed by Jateen Kumar
Gandhi
Designation : Assistant Commissioner
Date: 2025.11.04 11:26:02 IST
Reason: Approved

7. धर्मशाला के पास स्थित कुण्ड पार्किंग भूमि धर्मशाला लीज के अन्तर्गत शामिल है। विभिन्न वाहनों के प्रवेश के लिये संवेदक द्वारा निम्नानुसार निर्धारित शुल्क ली जा सकेगी।

क्र.स.	वाहन का प्रकार	राशि वाहन रूपये प्रति	समयावधि
1.	दो पहिया वाहन	10.00	12 घण्टे
2.	हल्के वाहन (कार, जीप, वैन, टेम्पो)	30.00	12 घण्टे
3.	भारी वाहन (बस/ बड़े वाहन)	100.00	12 घण्टे

8. प्रत्येक रुकने वाले यात्री को निम्न सुविधा बिना किसी अतिरिक्त लागत के देय होगी :-
- प्रति बेड एक धुली हुई चादर व बेडशीट
 - ब्लैकेट या रजाई
 - एक बड़ा तौलिया और दो छोटे तौलिए
 - बाथरूम सोप
 - बाथरूम के लिए आवश्यक बाल्टी, मग और पायदान (फुट-रंग)
- उक्त के अतिरिक्त अनुबंधकर्ता स्वयं के स्तर पर अतिरिक्त सामग्री निःशुल्क सामग्री प्रदान करने हेतु स्वतंत्र रहेगा।
9. अनुबंधकर्ता स्वयं के स्तर पर धर्मशाला में निवास करने वालों के लिए भोजन सामग्री की व्यवस्था करने हेतु स्वतंत्र होगा। संपदा में यदि मंदिर/देवरा आदि है तो धार्मिक मर्यादाओं के विरुद्ध किसी भी प्रकार का व्यवसाय जैसे, मांस, मदिरा आदि का व्यवसाय परिसर में नहीं करेगा। कोई भी अतिरिक्त व्यवसाय अथवा कार्य चालू करने से पूर्व विभाग की सहमति लेना आवश्यक होगा। अनुबंधकर्ता द्वारा परिसर में किसी अमर्यादित सामग्री अथवा कार्यवाही को स्थान नहीं देना होगा।
10. देवस्थान विभाग अपनी विभागीय प्रचार सामग्री व सुविधा सम्पदा में रख सकेगा, जिसे अनुबंधकर्ता को बिना बाधा के सहजदृश्य रूप में लगाना होगा। आवश्यकतानुसार विभाग सम्पदा में दानपात्र या अपनी रसीद भी रखवा सकता है, जिसकी राशि केवल देवस्थान विभाग की होगी। इसके लिए विभाग अपनी अलग प्रक्रिया निर्धारित कर सकता है।
11. विभाग की उक्त वर्णित संपदा एवं आस-पास स्थित विभाग की अन्य संपदा को अनुबंधकर्ता किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाएगा तथा संपदा को सुरक्षित रखेगा।

Signature valid

Digitally signed by Jateen Kumar
Gandhi
Designation : Assistant Commissioner
Date: 2025.11.04 11:26:02 IST
Reason: Approved

अनुबंधकर्ता राज्य सरकार अथवा देवस्थान विभाग द्वारा बनाई विभागीय नीति से बाध्य रहेगा। राज्य सरकार एवं आयुक्त, देवस्थान विभाग द्वारा किराये पर दिये जाने की स्वीकृति में यदि समय की आवश्यकता के अनुसार अन्य कोई शर्त शामिल की जाएगी तो उनसे संबंधित अनुबंधकर्ता अनुबन्धित (बाध्य) होगा।

12. राज्य सरकार या नगर पालिका/ नगर विकास प्रन्यास अन्य किसी विभाग/ संस्था/स्थानीय पंचायत द्वारा यदि अनुबंधित सम्पदा पर कोई शुल्क या कर लगाया जाता है, तो अनुबंधकर्ता को लीज राशि के अतिरिक्त उसका भुगतान करना होगा। बोली के उपरान्त किसी प्रकार से आये व्यवधान या कराधान के संबंध में देवस्थान विभाग व अनुबंधकर्ता के मध्य नियमानुसार कोई समझौता नहीं किया जा सकेगा। बिजली, पानी के बिल का भुगतान भी अनुबंधकर्ता को करना होगा तथा लीज अवधि पूर्ण होने पर बकाया नहीं का प्रमाण-पत्र पेश करने पर ही सुरक्षा राशि लौटाई जायेगी।
13. संपदा में बोली के उपरान्त किसी अन्य व्यक्तियों को उप अनुबंधकर्ता/सबलेट नहीं करेगा। यदि अनुबंधकर्ता ने शर्तों की अवहेलना की तो नियमानुसार बेदखली की कार्यवाही विभाग की ओर से कर दी जाएगी।

5 बोली की शर्तें :-

1. बोलीदाता की पात्रता व आर्थिक स्थिति :-बोलीदाता को बोली के समय अन्य विभागीय सूचना के साथ-साथ आवश्यक रूप से अपना आधार नम्बर, पैन नम्बर, बैंक खाता विवरण, पत्र व्यवहार का पता, मोबाईल नंबर एवं ई-मेल आई.डी. देना होगा। किसी तथ्य अथवा सूचना को छिपाने या गलत रूप में प्रस्तुत करने पर नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाएगी। बोली में भाग लेने के लिए बोलीदाता का न्यूनतम वार्षिक टर्न ओवर उस सम्पदा की रिजर्व प्राइस के तीनगुने के बराबर होना आवश्यक होगा। यदि किसी कारण से बोली लगाने हेतु कोई बोलीदाता नहीं आता है, तो यह राशि घटायी जा सकेगी। लीज की राशि की सुरक्षित वसूली के क्रम में बोलीदाता से पिछले तीन वर्ष की आयकर का रिटर्न एवं सी.ए. द्वारा अंकेक्षित बैलेन्स शीट की प्रतियां तथा नियमानुसार गारंटी लिया जाना प्रस्तावित है। यदि कोई पार्टनरशिप फर्म बोली लगाती है, तो बोली लगाते समय बोलीदाता को पंजीकृत पार्टनरशिप डीड पेश करनी होगी, अन्यथा बोली नहीं लगा सकेगा।

Signature valid

Digitally signed by Jatin Kumar
Gandhi
Designation : Assistant Commissioner
Date: 2025.11.04 11:26:02 IST
Reason: Approved

2. संपदा की बोली लगाने वाले बोलीदाता को बोली लगाने से पूर्व निर्धारित अमानत राशि (संपदा की स्थिति अनुसार) जमा कराना होगा। इस हेतु बोली से पूर्व नियमानुसार अनुमोदित राशि का 2 प्रतिशत अमानत राशि वसूल की जायेगी। बोली हेतु असफल रहने पर नियमानुसार राशि वापस की जाएगी। स्वीकृत बोली दाता को अमानत राशि के अतिरिक्त धरोहर राशि स्वीकृत वार्षिक लीज राशि के 5 प्रतिशत के बराबर (अमानत राशि को समायोजित करते हुए) जमा करानी होगी जो अवधि पूर्ण होने पर अदेयता प्रमाण-पत्र पेश करने पर लौटाई जा सकेगी।
3. जिस व्यक्ति के नाम निविदा स्वीकृत होगी, उसको 3 माह की अग्रिम राशि तीन दिवस में जमा करवानी होगी, अन्यथा धरोहर राशि जब्त कर ली जाएगी।
4. अधिकतम बोली (1 लाख से कम वार्षिक) को स्वीकृत करने अथवा नहीं करने का अधिकार आयुक्त, देवस्थान विभाग, राजस्थान उदयपुर को होगा 1.00 लाख से अधिक की बोली स्वीकृत/अस्वीकृत राज्य सरकार स्तर से की जावेगी। प्रस्ताव की स्वीकृति नहीं होने की स्थिति में बोलीदाता को अमानत राशि लौटा दी जाएगी, लेकिन उस पर किसी प्रकार का कोई ब्याज देय नहीं होगा।
5. अधिकतम बोलीदाता के नाम संपदा निर्धारित राशि पर देने की स्वीकृति होने पर जरिये पत्र उनको सूचित किया जाएगा कि वह आकर संपदा का नियमानुसार कब्जा प्राप्त करें। यदि उक्त पत्र अधिकतम बोलीदाता द्वारा नहीं लिया जाएगा, तो उसके द्वारा सूचित मोबाईल नम्बर, ई-मेल आई डी पर सूचना प्रेषित करते हुए पत्र संपदा पर चस्पा कर दी जाएगी कब्जा पत्र तथा सम्पदा पर चस्पा करने पर नोटीस निविदादाता को तामील होना माना जाएगा तथा विभागीय वेबसाइट पर डाल दिया जाएगा, फिर भी पत्र में वर्णित अवधि में दुकान/मकान/संपदा का कब्जा प्राप्त नहीं किया गया तो यह मान लिया जाएगा कि वह दुकान/मकान/संपदा किराये पर नहीं लेना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में उनके द्वारा जमा कराई गई तीन माह की अग्रिम राशि जब्त करके दुकान/मकान/संपदा पुनः नीलाम की जाएगी।
6. संपदा लीज पर देने की सक्षम स्वीकृति की सूचना के पश्चात् अधिकतम बोलीदाता को 15 दिवस के भीतर अनुबंध पत्र निष्पादित करना आवश्यक होगा। निर्धारित अवधि में अनुबंध पत्र निष्पादित नहीं करने पर अधिकतम बोलीदाता के रूप में उसका हक समाप्त

Signature valid

Digitally signed by Jatin Kumar
Gandhi
Designation : Assistant Commissioner
Date: 2025.11.04 11:26:02 IST
Reason: Approved

हो जाएगा तथा उसकी धरोहर व अग्रिम जमा राशि जब्त हो जाएगी एवं विभाग नई बोली कर सकेगा अथवा संपदा का उपयोग अन्य विकल्प के रूप में कर सकेगा। अनुबंध पत्र लिखने पर ही संपदा का कब्जा दिया जावेगा। अनुबंध पत्र का पंजीयन अधिकतम बोलीदाता को स्वयं के खर्च से कराना होगा।

7. अनुबंधकर्ता को उक्त लीज राशि के अनुरूप दी जाने वाली निर्धारित कर (जीएसटी या अन्य राजकीय शुल्क इत्यादि) का भुगतान स्वयं करना होगा। इसमें किसी देयता का उत्तरदायी वह स्वयं होगा।
8. अनुबंधकर्ता को नियमानुसार देय राशि विभाग के खाते में ऑनलाईन अथवा चैक रूप में अथवा विशेष रूप में निर्दिष्ट किये जाने पर मंदिर/संस्था के प्रबंधक के पास अथवा क्षेत्रीय सहायक आयुक्त, देवस्थान के यहाँ नकद /चालान द्वारा अनिवार्य रूप से जमा कराना होगा, अन्यथा बकाया पर 12 प्रतिशत वार्षिक प्रतिशत की दर से ब्याज राशि की वसूली की जाएगी तथा अनुबंधकर्ता को बेदखली करने की कार्यवाही भी देवस्थान विभाग कर सकेगा।
9. अनुबंधकर्ता द्वारा बिजली, पानी इत्यादि का कनेक्शन विभाग की अनुमति से स्वयं के खर्च पर लेना होगा तथा इसके बिल का भी स्वयं ही भरण करना होगा। यदि अनुबंध समाप्ति के समय अनुबंधकर्ता को नो ड्यूज प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा उससे राशि वसूली के साथ-साथ दंडात्मक कार्यवाही की जा सकेगी। अनुबंध अवधि के दौरान यदि समय पर उक्त राशि का भुगतान नहीं पाया गया, तो भी उससे वसूली के साथ-साथ दंडात्मक कार्यवाही की जा सकेगी।
10. यदि बोलीदाता निर्धारित समय पर संपदा खाली नहीं करता है या उसकी सम्पत्ति को क्षति पहुंचाता है या बोली की शर्तों का उल्लंघन करता है तो उसकी अग्रिम जमा राशि जब्त करते हुये उसमें हुई क्षति की वसूली हेतु उसके विरुद्ध विधि अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी।
11. यदि संपदा के क्षेत्र में किसी राजकीय प्रावधान पर अथवा अपवाद स्वरूप परिस्थितियों में विभाग द्वारा बोली अवधि में उक्तानुसार अनुबंध समाप्त किया जा सकता है, तो देवस्थान विभाग द्वारा बोली अवधि में उक्तानुसार अनुबंध समाप्त किया जा सकता है और यदि अनुबंध कर्ता द्वारा कोई अतिरिक्त राशि जमा की गई होगी तो वह बिना ब्याज के वापस

Signature valid

Digitally signed by Jateen Kumar
Gandhi
Designation : Assistant Commissioner
Date: 2025.11.04 11:26:02 IST
Reason: Approved

दी जाएगी। उक्त कार्यवाही पर निविदादाता/ बोलीदाता किसी प्रकार का दावा करने या क्षतिपूर्ति पाने का हकदार नहीं होगा।

12. यदि विभाग की अनुमति के पश्चात् भी अगर नगर परिषद या राज्य सरकार द्वारा नियमों के व्यतिक्रम के कारण आपत्ति व्यक्त की गई, तो इस संबंध में सम्पदा संबंधी प्रावधानों एवं नियमों का अवलोकन कर उचित निर्णय लिया जाएगा। बोलीदाता अनुबंधकर्ता द्वारा कारित त्रुटिके लिए वह स्वयं उत्तरदायी होगा।
13. अनुबंध पत्र में वर्णित किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर अनुबंधकर्ता लीजधारक के विरुद्ध धर्मशाला से बेदखल करने हेतु देवस्थान विभाग द्वारा राजस्थान अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली अधिनियम, 1964 के अन्तर्गत कार्यवाही की जाकर धर्मशाला की बकाया राशि की वसूली एवं कब्जा वापस लेने की कार्यवाही की जाएगी।
14. अनुबन्ध लीज की अवधि में अनुबंधकर्ता लीजधारक की मृत्यु हो जाने की स्थिति में विधिक वारिसान संचालन किया जा सकेगा तथा उनके इच्छुक नहीं होने पर विभाग धर्मशाला का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी होगा किन्तु बकाया किराया, कर, शुल्क इत्यादि हेतु विधिक वारिसान उत्तरदायी होगा किन्तु किसी भी स्थिति में किसी भी लीजधारक/ विधिक वारिसान को आगे सबलेट करने का अधिकार नहीं होगा।
15. यदि अनुबंधकर्ता लीजधारक धर्मशाला को निर्धारित अवधि के पूर्व खाली करना चाहेगा, तो उसके लिए यह आवश्यक होगा कि वह विज्ञप्ति संबंधी व्यय का वहन करने की राशि जमा कराते हुए खाली करने के न्यूनतम 6 माह पूर्व इसकी लिखित सूचना संबंधित अधिकारी को देगा, अन्यथा उसे ब्लैक लिस्ट करते हुए समस्त राशि की वसूली की कार्यवाही की जाएगी। अनुबंधकर्ता लीजधारक को यह सुविधा 1 वर्ष के उपरान्त ही प्राप्त होगी।
16. उक्त धर्मशाला को देवस्थान विभाग के अधिकारी/ निरीक्षक/ मुन्तजिम/ प्रबंधक द्वारा किसी भी समय सम्पदा और उसके संचालन का निरीक्षण किया जा सकेगा। त्रुटि पाए जाने पर उसे नोटिस देते हुए यथाआवश्यक अनुबन्ध निरस्त करने अथवा शास्ति लगाने या दोनों की कार्यवाही की जा सकेगी।
17. आकस्मिक कार्यो यथा बाढ राहत, चुनाव, महामारी आदि की दशा में परिसर संबंधित जिला कलेक्टर अथवा देवस्थान विभाग द्वारा अर्थाई रूप से अधिमहित किया जा सकेगा,

Signature valid

Digitally signed by Jateen Kumar
Gandhi
Designation : Assistant Commissioner
Date: 2025.11.04 11:26:02 IST
Reason: Approved

जिसका पृथक से किराया देय नहीं होगा, परन्तु अवधि जिसके लिए परिसर अधिगृहीत किया गया, उतने दिन या माह की गणनानुसार देय राशि प्रथम पक्ष/देवस्थान विभाग प्राप्त नहीं करेगा।

18. धर्मशाला एवं पार्किंग की नियमित साफ-सफाई करवाने की जिम्मेदारी स्वयं संवेदक की होगी। उक्त के साथ ही पार्किंग से लेकर मंदिर तक रास्ते की साफ सफाई का दायित्व भी स्वयं संवेदक का होगा। संवेदक द्वारा उक्त परिसर में आवश्यकतानुसार डस्टबीन रखे जावेंगे एवं पार्किंग स्थल पर आने वाले महिला एवं पुरुषों के लिये पृथक-पृथक सुविधाओं की पर्याप्त व्यवस्था करनी होगी एवं उनके नियमित साफ-सफाई की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी स्वयं संवेदक की होगी।
19. धर्मशाला एवं पार्किंग स्थल पर पर्याप्त सीसीटीवी एवं सुरक्षा सम्बन्धित उपाय करने की जिम्मेदारी स्वयं संवेदक की होगी।
20. अनुबन्ध पत्र के निष्पादन में देय स्टॉम्प-रजिस्ट्री शुल्क और जो भी कानूनी व्यय होगा, उस सारे व्यय की राशि अदा करने का दायित्व अनुबंधकर्ता लीजधारक का होगा।
21. आयुक्त, देवस्थान विभाग आवश्यकतानुसार सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के अधीन बोली की शर्तें राज्य सरकार की पूर्वानुमति से जोड़/हटा सकते हैं।
22. लीज अनुबंध पत्र :—निर्धारित शर्तों के अन्तर्गत लीज डीड अनुबंध-पत्र अथवा एम.ओ.यू निष्पादित करने हेतु वांछनीय अनुबंध का प्रारूप-2 संलग्न है।

Signature valid

Digitally signed by Jateen Kumar
Gandhi
Designation : Assistant Commissioner
Date: 2025.11.04 11:26:02 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
18633190

देवस्थान विभाग की धर्मशालाओं/ विश्रामगृहों के संचालन हेतु

अनुबन्ध -पत्र

यह लीज अनुबंध आज दिनांक..... को राजस्थान सरकार की ओर से आयुक्त देवस्थान विभाग, उदयपुर (जिसे आगे चलकर इस लीजडीड में प्रथम पक्षकार मालिक के नाम से संबोधित किया गया है)

बहक

नाम -.....
 पिता श्री -.....
 जाति -.....
 जन्म तिथि -.....
 उम्र-.....वर्ष.....
 पैन नम्बर -.....
 आधार नम्बर -.....
 मोबाईल न. -.....
 ई-मेल आई. डी. -.....
 निवासी -.....
 तहसील -.....
 जिला -.....राज्य-.....पिनकोड-.....

पार्टनरशिप फर्म द्वारा बोली लगाने की स्थिति में पंजीकृत पार्टनरशिप डीड -

संस्था का टिन नम्बर (आवश्यक होने पर) -

(जिसे आगे चलकर इस अनुबन्ध पत्र में द्वितीय पक्षकार/ अनुबंधकर्ता लीजधारक के नाम से संबोधित किया गया है) के मध्य निम्न प्रकार से निष्पादित किया जाता है, जिसमें लीज एवं अनुबंध की शर्तें निम्न प्रकार हैं, जिसके लिए दोनों पाबंद रहेंगे।

1. यह कि राजस्थान सरकार के देवस्थान विभाग के अधीनस्थ एवं नियंत्रित निम्न सम्पदा के निविदा आधारित संचालन के लिए, यह अनुबंध द्वितीय पक्षकार (लीज धारक) एवं प्रथम पक्षकार (मालिक) के मध्य किया जाता है, जिसका विवरण निम्नप्रकार है :-

Signature valid

Digitally signed by Jateen Kumar
Gandhi

Designation : Assistant Commissioner

Date: 2025.11.04 11:26:02 IST

Reason: Approved

1	धर्मशाला नाम	
2	स्थान	
3	मंदिर, जिसके अन्तर्गत धर्मशाला है।	
4	तहसील	
5	जिला	
6	धर्मशाला की चतुर्सीमा (पडोस) निम्न प्रकार	
	पूर्व	
	पश्चिम	
	उत्तर	
	दक्षिण	
7	अनुबन्ध हेतु दिया गया कुल फ्लोर एरिया	वर्ग फीट
8	अनुबन्ध हेतु दिया गया कुल बिल्ड अप एरिया	वर्ग फीट
9	निर्मित भाग का विवरण	
10	(1) कुल मंजिलें भू-तल सहित	
	(2) कुल कमरे	
	(3) अन्य विवरण	
11	संचालन हेतु संभलाई गई अन्य सामग्री, संख्या सहित	

2. यह कि प्रथम पक्षकार देवस्थान विभाग द्वारा द्वितीय पक्ष अनुबंधकर्ता लीजधारक को देवस्थान विभाग द्वारा निर्धारित शर्तों एवं दरों पर यात्रियों को अस्थाई रूप से ठहरने के लिए उपर्युक्त वर्णित धर्मशाला निम्नानुसार अवधि एवं दर पर संचालन हेतु दी जा रही है:-

- (1) संचालन अवधि 15 वर्ष अनुबंध की तिथि से
- (2) वार्षिक देय राशि -
- (3) त्रैमासिक देय राशि -
- (4) अधिकतम किराया -
- (5) साधारण रूम -
- (6) डोरमेट्री -
- (7) वी.आई.पी./ डीलक्स/सुपर डीलक्स -

Note

- (क) VIP रूम से तात्पर्य उस कक्ष में ए.सी. सुविधा के साथ अटैच्ड टॉयलेट व टीवी सुविधा तथा बेहतर व्यवस्था का होना आवश्यक होगा। किसी कक्ष को इस रूप में घोषित करने से पूर्व विभाग द्वारा निर्धारित अधिकारी अथवा समिति द्वारा

Signature valid

Digitally signed by Jateen Kumar
Gandhi
Designation : Assistant Commissioner
Date: 2025.11.04 11:26:02 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
18633190

अनुमोदन होना आवश्यक होगा।

- (ख) बोलीदाता/अनुबंधकर्ता लीजधारक उक्त निर्धारित किराये में सीजन के हिसाब से स्वयं के स्तर पर दरों में कटौती कर सकने हेतु अधिकृत होगा। उदाहरणार्थ वह विशेषतः ऑफ सीजन में कम दर रखकर ऑक्यूपेंसी बढ़ा सकता है।
- (ग) देवस्थान विभाग प्रति बोली वर्ष में दरों का पुर्ननिर्धारण कर सकेंगा।
- (घ) अनुबंध में दी गई सम्पदा के रिक्त स्थान अथवा परिसर का प्रयोग विवाह कार्यक्रम आयोजन हेतु अनुबन्धदाता स्वयं द्वारा निर्धारित दरों के आधार पर कर सकेगा, जिसके लिए वह यथावश्यक नगरीय निकाय या पंचायती राज के नियमों की पालना करेगा।

3. लीज राशि का देय होना:— प्रस्तावित नीति के अन्तर्गत बोली में देय राशि के अनुसार तीन माह की अनुमोदित लीज राशि अग्रिम देय होगी। इसके आगे कुल वार्षिक लीज राशि में से प्रत्येक 3 माह की राशि भी अग्रिम रूप से देय होगी। निर्धारित राशि देय होने के पूर्व माह की 10 तारीख तक देय राशि जमा कराना अनिवार्य होगा। समय पर राशि जमा नहीं करवाये जाने पर GF&AR प्रावधानुसार ब्याज वसूलनीय होगा।
4. लीज राशि में वृद्धि:—एक बार संचालन हेतु बोली की जो राशि और अवधि तय होगी, उस अवधि को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। यदि किसी आकस्मिक या प्रशासनिक कारण से अग्रिम बोली की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो पाती, तो रेंट कंट्रोल एक्ट के विद्यमान प्रावधान अनुसार वार्षिक किराये में 5 प्रतिशत किराये में वृद्धि के प्रावधान को मार्गदर्शक मानते हुए वर्तमान लीज धारक द्वारा देय राशि पर 5 प्रतिशत वृद्धि करते हुए आगामी लीज प्रक्रिया पूर्ण होने तक वर्तमान लीज धारक को संचालन की अनुमति दी जा सकेगी। वार्षिक लीज राशि में वृद्धि—अनुमोदित वार्षिक लीज राशि प्रतिवर्ष 5 प्रतिशत की दर से बढ़ेगी। लीज अनुमोदन के 10 वर्ष उपरान्त इस 50 प्रतिशत बढ़ोतरी को मूल लीज राशि में जोड़ा जाएगा तथा 11वें वर्ष से इस जुड़ी हुई राशि पर 5 प्रतिशत वृद्धि होगी। लीज अनुमोदन एवं आयुक्त देवस्थान विभाग द्वारा परीक्षा अवधि द्वितीय पक्षकार द्वारा सफलता पूर्वक पूर्ण करने पर समीक्षा उपरान्त धर्मशाला नीति के अनुसार अवधि बढ़ाने पर निविदा शर्तों अनुसार वृद्धि होगी।
5. धर्मशाला में व्यवस्था संबंधी प्रावधान:—

Signature valid

Digitally signed by Jateen Kumar
Gandhi
Designation : Assistant Commissioner
Date: 2025.11.04 11:26:02 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
18633190

1. संपदा जैसी स्थिति में हो, वैसी स्थिति में दी जाएगी। विभाग किसी भी प्रकार की मरम्मत परिवर्तन आदि के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। विभाग द्वारा अनुबंधकर्ता को संभलाई जाने वाली सामग्री की लिखित सूची प्रदान की जाएगी, जिसे उसे अच्छी स्थिति में वापस करना होगा। इसमें कन्ज्यूमेबल आइटम्स की पृथक् से सूची बनायी जा सकेंगी, जिसे वेव-ऑफ किया जा सकेंगा।
2. अनुबंधकर्ता लीजधारक को संपदा के साइन बोर्ड के उपर स्पष्ट रूप से देवस्थान विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम साईज की पट्टी पर देवस्थान विभाग, राजस्थान सरकार की संपदा लिखना आवश्यक होगा। देवस्थान विभाग द्वारा संपदा का समुचित नामकरण किया जा सकेगा।
3. अनुबंधकर्ता संपदा के स्वरूप में कोई भी परिवर्तन एवं परिवर्धन विभाग की अनुमति से ही करायेगा इसके लिये सहायक आयुक्त के मार्फत आयुक्त को आवेदन करना होगा आवेदन करने के 60 दिवस में अनुमति मिलने/नहीं मिलने की दशा में स्वतः अनुमति मानी जायेगी किन्तु स्वतः अनुमति तभी प्रभावी होगी जब इसकी सूचना लीजधारक 60 दिवस की समाप्ति पर सहायक आयुक्त को दे देगा। संपदा की साधारण रंगाई, सफेदी एवं मरम्मत अनुबंधकर्ता स्वयं के व्यय पर करा सकेगा। अनुबंधकर्ता को संपदा की समुचित साफ-सफाई के साथ-साथ परिसर में वृक्षारोपण/गमले में फूल लगाने और उनकी देखभाल की व्यवस्था करनी होगी। आवश्यकतानुसार रुफ वाटर/रेन वाटर हार्वेस्टिंग की सुविधा उसकी स्वयं की लागत पर विकसित करने की सुविधा दी जा सकेगी।
4. अनुबंधकर्ता लीजधारक को संपदा में निम्न चीजें रखनी आवश्यक होंगी—
 - स्वागत पटल (Reception Counters) उपयुक्त सुविधा व मानव संसाधन सहित
 - शिकायत/फीडबैक पुस्तिका
 - शिकायत/फीडबैक पेटिका
 - कमरे, भोजन व अन्य सुविधा/सामग्री की दर (प्रमुखता से दृश्य रूप में)
5. अनुबंधकर्ता लीजधारक द्वारा यदि अतिरिक्त सुविधा के रूप में कोई सामग्री या सेवा प्रदान की जाती हैं तो, वह इस हेतु स्वयं के स्तर पर दर न रखकर, विभाग से अनुमोदित दर पर ही प्रदान की जायेगी। एक्सट्रा बेड के लिए कमरे के किराए का आधा वसूल किया जा सकेगा। डोरमेटरी हेतु एक्सट्रा बेड का कोई प्रावधान नहीं होगा। विभाग द्वारा अधिकतम

Signature valid

Digitally signed by Jateen Kumar
Gandhi
Designation : Assistant Commissioner
Date: 2025.11.04 11:26:02 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
18633190

तय किराया निम्नानुसार हैं तथा यदि शासकीय नियमानुसार कोई कर देय है तो वह इसमें जोड़ा जा सकेगा। उक्त प्रभार डबल रूम का होगा। अतिरिक्त बेड का 25 प्रतिशत अतिरिक्त होगा।

रूम	प्रथम 5 वर्ष तक	5 वर्ष उपरान्त (10 वर्ष तक)	10 वर्ष उपरान्त
डोरमेट्री	150 /- प्रतिदिन	200 /- प्रतिदिन	250 /- प्रतिदिन
सामान्य रूम	500 /- प्रतिदिन	625 /- प्रतिदिन	750 /- प्रतिदिन
वीआईपी/डीलक्स/सुपर डीलक्स	4000 /- प्रतिदिन	5000 /- प्रतिदिन	6000 /- प्रतिदिन

6. देवदर्शन विश्रांति गृह हेतु नीचे का भाग (प्रथमतल) को लीज हेतु शामिल नहीं किया गया है। इस हेतु लीज पर दिये जाने वाली संपदा का नक्शा व विवरण निविदा के साथ संलग्न है तथा विस्तृत जानकारी के लिये कार्यालय हाजा में किसी भी कार्य दिवस उपस्थित होकर देखी जा सकती है।
7. धर्मशाला के पास स्थित पार्किंग भूमि धर्मशाला लीज के अन्तर्गत शामिल है। विभिन्न वाहनों के प्रवेश के लिये संवेदक द्वारा निम्नानुसार निर्धारित शुल्क ली जा सकेगी।

क्र.स.	वाहन का प्रकार	राशि रुपये प्रति वाहन	समयावधि
1.	दो पहिया वाहन	10.00	12 घण्टे
2.	हल्के वाहन (कार, जीप, वेन, टेम्पो)	30.00	12 घण्टे
3.	भारी वाहन (बस/बड़े वाहन)	100.00	12 घण्टे

8. प्रत्येक रुकने वाले यात्री को निम्न रूप में सुविधा बिना किसी अतिरिक्त लागत के देय होगी:-
- प्रति बेड एक धुली हुई चादर व बेडशीट
 - ब्लैकेट या रजाई
 - एक बड़ा तौलिया और दो छोटे तौलिए
 - बाथरूम सोप
 - बाथरूम के लिए आवश्यक बाल्टी, मग और पायदान (फुट-रंग)
 - उक्त के अतिरिक्त अनुबंधकर्ता लीजधारक स्वयं के स्तर पर अतिरिक्त सामग्री निःशुल्क प्रदान करने हेतु स्वतंत्र रहेगा।
9. अनुबंधकर्ता लीजधारक स्वयं के स्तर पर धर्मशाला में निवास करने वालों के लिए भोजन सामग्री की व्यवस्था करने हेतु स्वतंत्र होगा। संपदा में धार्मिक मर्यादाओं के विरुद्ध किसी भी प्रकार का व्यवसाय जैसे मांस, मदिरा, अण्डा आदि का व्यवसाय नहीं करेगा। कोई भी अतिरिक्त व्यवसाय अथवा कार्य चालू करने से पूर्व विभाग की सहमति लेना आवश्यक होगा। अनुबंधकर्ता लीजधारक द्वारा परिसर में किसी अमर्यादित सामग्री अथवा कार्यवाही को स्थान नहीं दिया जायेगा।

Signature valid

Digitally signed by Jateen Kumar
Gandhi
Designation : Assistant Commissioner
Date: 2025.11.04 11:26:02 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
18633190

10. देवस्थान विभाग अपनी विभागीय प्रचार सामग्री व सुविधा सम्पदा में रख सकेगा। जिसे अनुबंधकर्ता लीजधारक को बिना बाधा के सदृश्य रूप में लगाना होगा। आवश्यकतानुसार विभाग सम्पदा में दानपात्र या अपनी रसीद भी रखवा सकता है, जिसकी राशि केवल देवस्थान विभाग की होगी। इसके लिए विभाग अपनी अलग प्रक्रिया निर्धारित कर सकता है।
11. विभाग की उक्त वर्णित संपदा एवं आस-पास स्थित विभाग की अन्य संपदा को अनुबंधकर्ता लीजधारक किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाएगा तथा संपदा को सुरक्षित रखेगा। अनुबंधकर्ता लीजधारक राज्य सरकार अथवा देवस्थान विभाग द्वारा बनाई विभागीय नीति से बाध्य रहेगा। राज्य सरकार या आयुक्त, देवस्थान विभाग द्वारा किराये पर दिये जाने की स्वीकृति में यदि समय की आवश्यकता के अनुसार अन्य कोई शर्त शामिल की जाएगी तो उनसे संबंधित अनुबंधकर्ता लीजधारक अनुबंधित (बाध्य) होगा।
12. राज्य सरकार या नगर पालिका नगर विकास प्रन्थास द्वारा यदि अनुबंधित सम्पदा पर कोई शुल्क या कर लगाया जाता है, तो अनुबंधकर्ता लीजधारक को लीज राशि के अतिरिक्त उक्त राशि का स्वयं भुगतान करना होगा। बोली के उपरांत किसी प्रकार से आये व्यवधान या कराधान के संबंध में देवस्थान विभाग व अनुबंधकर्ता लीजधारक के मध्य नियमानुसार कोई समझौता किया जा सकेगा।
13. संपदा में अनुबंध के उपरांत लीज धारक किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों को साझेदार अथवा उप अनुबंधकर्ता नहीं रखेगा। यदि अनुबंधकर्ता लीजधारक ने शर्तों की अवहेलना की, तो नियमानुसार बेदखली की कार्यवाही विभाग द्वारा की जाएगी।
14. अनुबंधकर्ता लीजधारक को उक्त लीज राशि के अनुरूप दी जाने वाली निर्धारित कर, शुल्क का भुगतान स्वयं करना होगा। इसमें किसी त्रुटि/बकाया देयता का उत्तरदायी वह स्वयं होगा।
15. अनुबंधकर्ता लीजधारक को नियमानुसार देय राशि विभाग के खाते में ऑनलाईन अथवा चैक के रूप में अथवा विशेष रूप से निर्दिष्ट किये जाने पर नकद राशि के रूप में मंदिर/संस्था के प्रबंधक के पास अथवा क्षेत्रीय सहायक आयुक्त, देवस्थान के यहाँ अनिवार्य रूप से जमा कराना होगा, अन्यथा 12 प्रतिशत वार्षिक दर से Gf&AR अथवा धर्मशाला लीज नीति में प्रावधान एवं समय-समय पर नियमों परिवर्तन अनुसार) ब्याज राशि की वसूली की जाएगी तथा अनुबंधकर्ता को बेदखली करने की कार्यवाही भी देवस्थान विभाग कर सकेगा।
16. अनुबंधकर्ता लीजधारक द्वारा बिजली, पानी इत्यादि का कनेक्शन विभाग की अनुमति से स्वयं के खर्चे पर लेना होगा तथा इनके बिल का भी स्वयं ही भरण करना होगा। अनुबंध समाप्ति के समय अनुबंधकर्ता को नो ड्यूज प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा उससे राशि वसूली के साथ-साथ दंडात्मक कार्यवाही की जा सकेगी। अनुबंध अवधि के दौरान यदि समय पर उक्त राशि का भुगतान नहीं पाया गया तो भी राशि वसूली के साथ-साथ दंडात्मक कार्यवाही की जा सकेगी।

Signature valid

Digitally signed by Jateen Kumar
Gandhi

Designation : Assistant Commissioner

Date: 2025.11.04 11:26:02 IST

Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
18633190

17. यदि अनुबंधकर्ता लीजधारक/बोलीदाता निर्धारित समय पर संपदा खाली नहीं करता हैं या उसकी सम्पत्ति को क्षति पहुंचाता हैं या बोली की शर्तों का उल्लंघन करता हैं तो उसकी अग्रिम जमा राशि जब्त करते में उसके विरुद्ध विधि अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी।
18. यदि संपदा के क्षेत्र में किसी राजकीय प्रावधान में परिवर्तन के कारण बोली अवधि में, संचालन में प्रतिबंध लागू होता हैं या अपवाद स्वरूप परिस्थितियों के कारण राज्य सरकार परिसम्पत्ति रिक्त करवाना चाहे तो, देवस्थान विभाग द्वारा बोली अवधि में उक्तानुसार अनुबंध समाप्त किया जा सकेगा और यदि लीज धारक द्वारा कोई अतिरिक्त राशि जमा की गई होगी तो, वह बिना ब्याज के वापस कर दी जाएगी। इस प्रावधान के तहत समय पूर्व अनुबंध समाप्त करने पर संविदाकार किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति पाने का हकदार नहीं होगा।
19. विभाग की अनुमति के पश्चात् भी यदि नगर परिषद् या राज्य सरकार द्वारा नियमों के व्यतिक्रम के कारण आपत्ति व्यक्त की गई, तो इस संबंध में सम्पदा संबंधी प्रावधानों एवं नियमों का अवलोकन कर उचित निर्णय लिया जाएगा। बोलीदाता अनुबंधकर्ता द्वारा कारित त्रुटि के लिए वह स्वयं उत्तरदायी होगा।
20. अनुबंध पत्र में वर्णित किसी भी शर्त का लीज धारक द्वारा उल्लंघन करने पर लीज धारक के विरुद्ध धर्मशाला से बेदखल करने हेतु देवस्थान विभाग द्वारा राजस्थान अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली अधिनियम, 1964 के अन्तर्गत कार्यवाही की जाकर धर्मशाला की बकाया राशि की वसूली एवं कब्जा वापस लेने की कार्यवाही की जाएगी।
21. अनुबंध लीज की अवधि में अनुबंधकर्ता लीजधारक की मृत्यु हो जाने की स्थिति में विधिक वारिसान संचालन किया जा सकेगा तथा उनके इच्छुक नहीं होने पर विभाग धर्मशाला का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी होगा किन्तु बकाया किराया, कर, शुल्क इत्यादि हेतु विधिक वारिसान उत्तरदायी होगा किन्तु किसी भी स्थिति में किसी भी लीजधारक/ विधिक वारिसान को आगे सबलेट करने का अधिकार नहीं होगा।
22. यदि अनुबंधकर्ता लीजधारक धर्मशाला को निर्धारित अवधि के पूर्व खाली करना चाहेगा, तो उसके लिए यह आवश्यक होगा कि यह विज्ञप्ति संबंधी व्यय का वहन करने की राशि जमा कराते हुए खाली करने की न्यूनतम 6 माह पूर्व इसकी लिखित सूचना देवस्थान विभाग के संबंधित अधिकारी को देगा, अन्यथा उसे ब्लैक लिस्ट करते हुए समस्त राशि की वसूली की कार्यवाही की जाएगी। अनुबंधकर्ता लीजधारक को यह सुविधा (11 माह) सफलता पूर्वक पूर्ण करने के पश्चात् धर्मशाला नीति के प्रावधानों अनुसार आयुक्त देवस्थान विभाग द्वारा समीक्षा के अवधि बढ़ाने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।
23. देवस्थान विभाग के अधिकारी द्वारा किसी भी समय सम्पदा और उसके संचालन का निरीक्षण किया जा सकेगा। त्रुटि पाए जाने पर उसे नोटिस देते हुए यथा आवश्यक अनुबंध निरस्त करने अथवा शास्ति लगाने या दोनों की कार्यवाही साथ-साथ की जा सकेगी।
24. आकस्मिक कार्यो यथा बाढ़ राहत, चुनाव, महामारी आदि की दशा में परिसर संबंधित जिला कलेक्टर/देवस्थान विभाग द्वारा अस्थाई रूप से अधिगृहित किया जा सकेगा, जिसका पृथक से किराया देय नहीं होगा, परन्तु उक्त अवधि जिसके लिए परिसर अधिगृहित किया गया,

Signature valid

Digitally signed by Jateen Kumar
Gandhi
Designation : Assistant Commissioner
Date: 2025.11.04 11:26:02 IST
Reason: Approved

उत्तने दिन या माह की गणनानुसार देय राशि प्रथम पक्ष (मालिक) द्वारा प्राप्त नहीं की जावेगी।

25. इस अनुबंध पत्र के निष्पादन में देय स्टॉम्प-रजिस्ट्री शुल्क और जो भी कानूनी व्यय होगा, उस सारे व्यय की राशि अदा करने का दायित्व लीज धारक का होगा।
26. धर्मशाला एवं पार्किंग की नियमित साफ-सफाई करवाने की जिम्मेदारी स्वयं संवेदक की होगी। उक्त के साथ ही पार्किंग से लेकर मंदिर तक रास्ते की साफ सफाई का दायित्व भी स्वयं संवेदक का होगा। संवेदक द्वारा उक्त परिसर में आवश्यकतानुसार डस्टबीन रखे जावेंगे एवं पार्किंग स्थल पर आने वाले महिला एवं पुरुषों के लिये प्रथक-प्रथक सुविधाओं की पर्याप्त व्यवस्था करनी होगी एवं उनके नियमित साफ-सफाई की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी स्वयं संवेदक की होगी।
27. धर्मशाला एवं पार्किंग स्थल पर पर्याप्त सीसीटीवी एवं सुरक्षा सम्बन्धित उपाय करने की जिम्मेदारी स्वयं संवेदक की होगी।
28. लीज धारक उक्त वर्णित शर्तों में निहित प्रावधानों की पालना के लिए आवद्ध और वचनबद्ध है। उक्तानुसार यह अनुबंध पत्र लीज धारक एवं मालिक ने स्वस्थचित्त, स्थिर बुद्धि से होश हवास में लिखा गया है, जो अभिलेख के रूप में मान्य एवं उभय पक्ष को बाध्यकारी होगा।
29. यह है कि यह अनुबंध पत्र दस्तावेज तीन असल प्रतियों में तैयार किया गया है, जिसमें से मूल प्रति व एक काउन्टर पार्ट प्रति प्रथम पक्ष के कार्यालय में सुरक्षित रखी जायेगी एवं दुसरी काउन्टर पार्ट प्रति द्वितीय पक्ष को सुपुर्द की जायेगी।

हस्ताक्षर

(राजस्थान सरकार, देवस्थान विभाग
विभाग की और से अधिकृत अधिकारी)

हस्ताक्षर

अनुबंधकर्ता
(द्वितीय पक्षकार लीज धारक)

(1) साक्षी :

(2) साक्षी :

(1) साक्षी :

(2) साक्षी :

स्थान :-.....

दिनांक :-.....

Signature valid

Digitally signed by Jateen Kumar
Gandhi
Designation : Assistant Commissioner
Date: 2025.11.04 11:26:02 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
18633190

राजस्थान सरकार
कार्यालय सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग उदयपुर
क्रमांक :- एफ3(22)लेखा/देव/धर्मशाला सेवेत्री/2024-25/ दिनांक :-

ई-निविदा सूचना संख्या 09/2025-26

तकनीकी बिड प्रपत्र

1	बिड आमंत्रित करने वाले विभाग का नाम	सहायक आयुक्त उदयपुर देवस्थान विभाग राजस्थान उदयपुर
2	बिड का सन्दर्भ UBN (Unique bid number)	
3	कार्य का विवरण	लीज आधार पर 15 वर्ष हेतु देवदर्शन विश्रांतिगृह एवं राम कुण्ड के पास स्थित धर्मशाला मय पार्किंग ग्राम सेवेत्री तहसील चारभुजा जिला राजसमंद, का संचालन
4	लीज की अनुमानित राशि	3,32,700/- वार्षिक
5	बोलीदाता का विवरण नाम मय पता..... टेलिफोन न. मय एस.टी.डी कोड फेक्स न..... मोबाईल नम्बर एवं ई-मेल आइडी वेब साईट.....	
6	बिड का प्रकार	Single-Stage: two part (cover) open competitive e-bid procedure at http://eproc.rajasthan.gov.in
6	बिड प्रपत्र की लागत	सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग उदयपुर के पक्ष में ईग्रास चालान नं. दिनांक..... राशि रुपये.....
7	बिड प्रतिभूति	सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग उदयपुर के पक्ष में चालान नं.....दिनांक..... राशि रुपये.....बैंक ब्रांच का नाम..... (चालान ही सलग्न करना होगा)
8	बिडर्स का पंजीयन सम्बन्धित विवरण Constitution of the firm individual whether /proprietorship/partnership/company (a) In case of proprietorship firm:-	आस्थिति(कम्पनी/संस्था/फर्म/कॉर्पोरेट बॉडी/वैयक्तिक रूप से पंजीकृत आदि) व्यक्तिगत नाम..... पिता का नाम..... पता..... पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक..... पंजीयन अधिकारी का पता.....

Signature valid

Digitally signed by Jateen Kumar
Gandhi
Designation : Assistant Commissioner
Date: 2025.11.04 11:26:02 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
18633190

		पंजियन की वैद्यता.....
	(b) In case of Individual:-	नाम..... पिता का नाम..... पता..... पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक..... पंजियन अधिकारी का पता..... पंजियन की वैद्यता.....
	(c) In case of partnership firm	नाम..... पिता का नाम..... पता..... Of all the partners (Note-Enclose the Registration certificate of firms of its attested copy/ photocopy of partnership Deed)
	(d) In case of company (Note-Enclose the egristration certificate of company)	छंउम – Address of the all directors of the company पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक..... पंजियन अधिकारी का पता..... पंजियन की वैद्यता.....
9	प्रोसेसिंग फीस	Managing director RISL Payble at jaipur के नाम राशि 500 /—
10	जी.एस.टी. आई.एन. पंजीयन क्रमांक	
11	आयकर खाता संख्या एवं पेन नं.	
12	अनुभव- ITR & CA Audit Balance Sheet (टर्नओवर अनुमानित बोली राशि से दो गुनी होना आवश्यक है।	वित्तीय वर्ष- दस्तावेज एनेक्सर पर संलग्न हैं। 2022-23 का एनेक्सर नं..... 2023-24 का एनेक्सर नं..... 2024-25 का एनेक्सर नं.....
13	पिछले 3 वित्तीय वर्षों में आयकर जमा का विवरण	वित्तीय वर्ष- निम्न आयकर जमा कराया है एवं कर निर्धारण आदेश की प्रति संलग्न है। 2022-23 का एनेक्सर नं..... 2023-24 का एनेक्सर नं..... 2024-25 का एनेक्सर नं.....
14	बिडर के बैंक खाते का विवरण	खाता संख्या..... बैंक / ब्रांच का नाम..... आईएफएससी कोड.....
15	प्राधिकृत हस्ताक्षरी का नाम ,पता, फोन नं. एवं मेल आई डी	

दिनांक:

हस्ताक्षर (बोलीदाता)
Signature valid

Digitally signed by Jateen Kumar
Gandhi
Designation : Assistant Commissioner
Date: 2025.11.04 11:26:02 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
18633190

कार्यालय सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग, उदयपुर

वित्तीय बोली

SCHEDULE "H"

क्र.सं.	मद संख्या	मद विवरण	अनुमानित राशि (आरक्षित मूल्य)	बोलीदाता द्वारा प्रस्तावित की जाने वाली वार्षिक किराया राशि (Exclusive of all taxes)
1	1	देवदर्शन विश्रांतिगृह एवं राम कुण्ड के पास स्थित धर्मशाला मय पार्किंग ग्राम सेवंत्री तहसील चारभुजा जिला राजसमंद	3,32,700 /- (वार्षिक)	नोट:- वित्तीय निविदा इस प्रपत्र में नहीं भरी जावेगी। वित्तीय बोली ऑनलाईन बी.ओ.क्यू. में भरी जावेगी।

बिडर के हस्ताक्षर मय दिनांक

कम्पनी का नाम (यदि कोई हो तो)

बिड हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी का नाम विवरण सहित

मोबाईल नं.

मेल आईडी

नोट :-

1. प्रस्तावित दर ईप्रोक पोर्टल पर ऑनलाईन इन्द्राज करें। दर वार्षिक आधार पर ही मान्य होगी।
2. होटल संचालन पर लगने वाले सभी प्रकार के कर प्रभारो एवं अनुज्ञप्तियों इत्यादि पर लगने वाले प्रभारो की समस्त जिम्मेदारी बोलीदाता की होगी।

हस्ताक्षर
मयसील बोलीदाता

Signature valid

Digitally signed by Jateen Kumar
Gandhi
Designation : Assistant Commissioner
Date: 2025.11.04 11:26:02 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
18633190

OFFICE OF THE ASSISTANT COMMISSIONER, DEVASTHAN DEPT. U.D.A. (2)

Rent Assessment of Dharmashala No.

SEVANNY DIST. RAJGARH (Dist.) of Temple Shri Radh Mahesh

(Based on P.W.D. standing order No. X-3-2021)

Name of Tenant: DHARMASHALA and PARRY DHARMASHALA

Name of sub Tenant: Type of Tenancy: Commercial residential

Specification of the property

9. Age of Property: 10 Year and 3 years
10. Type of Masonry: Stone/Block Cement Lime/Mud Mortar
11. Type of Flooring: CC/Stone/Kota Marble/Mosaic
12. Type of Roofing: Stone Slab R.C.C./Tin shed/Wooden
13. Type of Joinery: Wooden/Steel Shutter
14. Sanitary/Water Supply: Ordinary/Special
15. Electric Fittings: Ordinary/Conduit Wiring
16. Ceiling Height: 10 ft

Dharmashala Ground Area = 545.32 sqm $H = 6243914.00$
@ 11450/sqm

First Floor Area = 545.32 sqm @ 9720/sqm $H = 5300510.40$

COST of Land Area = 545.32 sqm $H = 11544424.00$
@ 4250/sqm

$H = 2317610.00$
Total $H = 13862034.40$

Dharmashala Commercial & PARRY

G.F. = 719.45 sqm @ 11450/sqm $H = 8237702.50$

First Floor Area = 719.45 sqm @ 9720/sqm $H = 6993054.00$
Total $H = 15230756.50$

D.C. = 15230756.50 x 0.9700 = 14773801.86 - (1)

Land $H = 719.45 \text{ sqm} @ 4250/\text{sqm} H = 3057662.50$

Total $H = 17831464.36$

TOTAL D.C. = 31693528.76

Add. P & elec. & sev. 21% + 6655641.03

Total $H = 38349169.79$

Rate increase 25%

$H = 9587292.45$

Open Land Area = 1096.00 sqm

PARRY Area $H = 38965.50$
@ 3530/sqm

Rate increase 10% on land

Total A+B $H = 11087686.95$

Rent per year = 11087686.95 x 10 = 110876869.50
+ 100 $H = 332630.01$

Rate increase 30%

say $H = 332631/\text{per year}$

Signature
सहायक आयोग (सिडिडी)
देवस्थान विभाग, राजगढ़

28 October 2025 at 9:45 am

Signature valid

Digitally signed by Jateen Kumar Gandhi
Designation: Assistant Commissioner
Date: 2025.11.04 11:26:02 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
18633190

298

Architectural drawing of a building floor plan, showing multiple rooms and corridors. The drawing is oriented vertically on the page. Handwritten annotations include '298' in a circle at the top right, '101' on the right side, and '159' at the bottom center. The drawing includes a north arrow pointing towards the top right. Below the drawing, there is a table with columns for 'REVISIONS', 'DATE', and 'BY'. The table is currently empty. Below the table, there is a section for 'GENERAL NOTES' and a section for 'APPROVED' with a signature line.

Signature valid

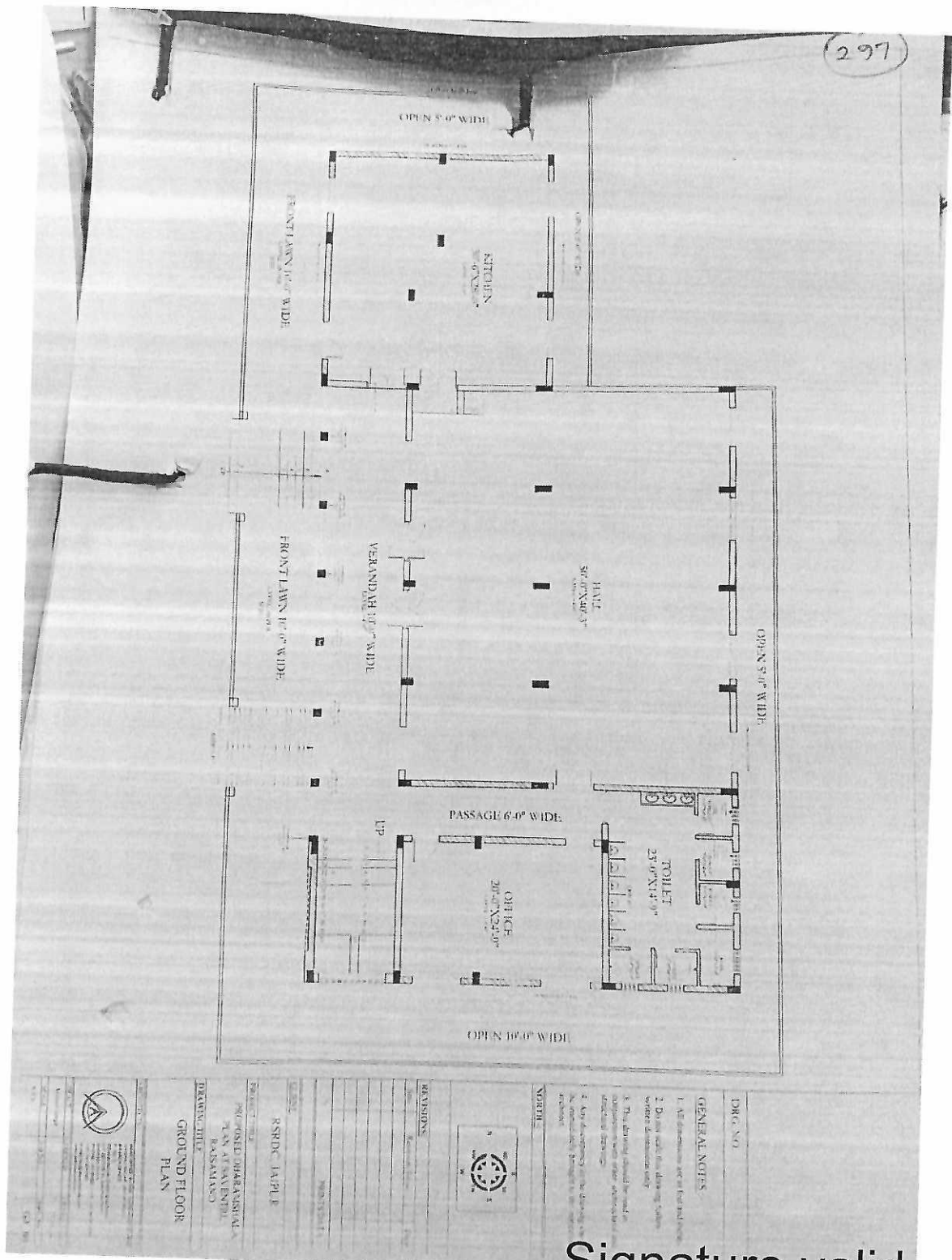
Digitally signed by Jateen Kumar Gandhi

Designation : Assistant Commissioner

Date: 2025.11.04 11:26:02 IST

Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
18633190



Signature valid

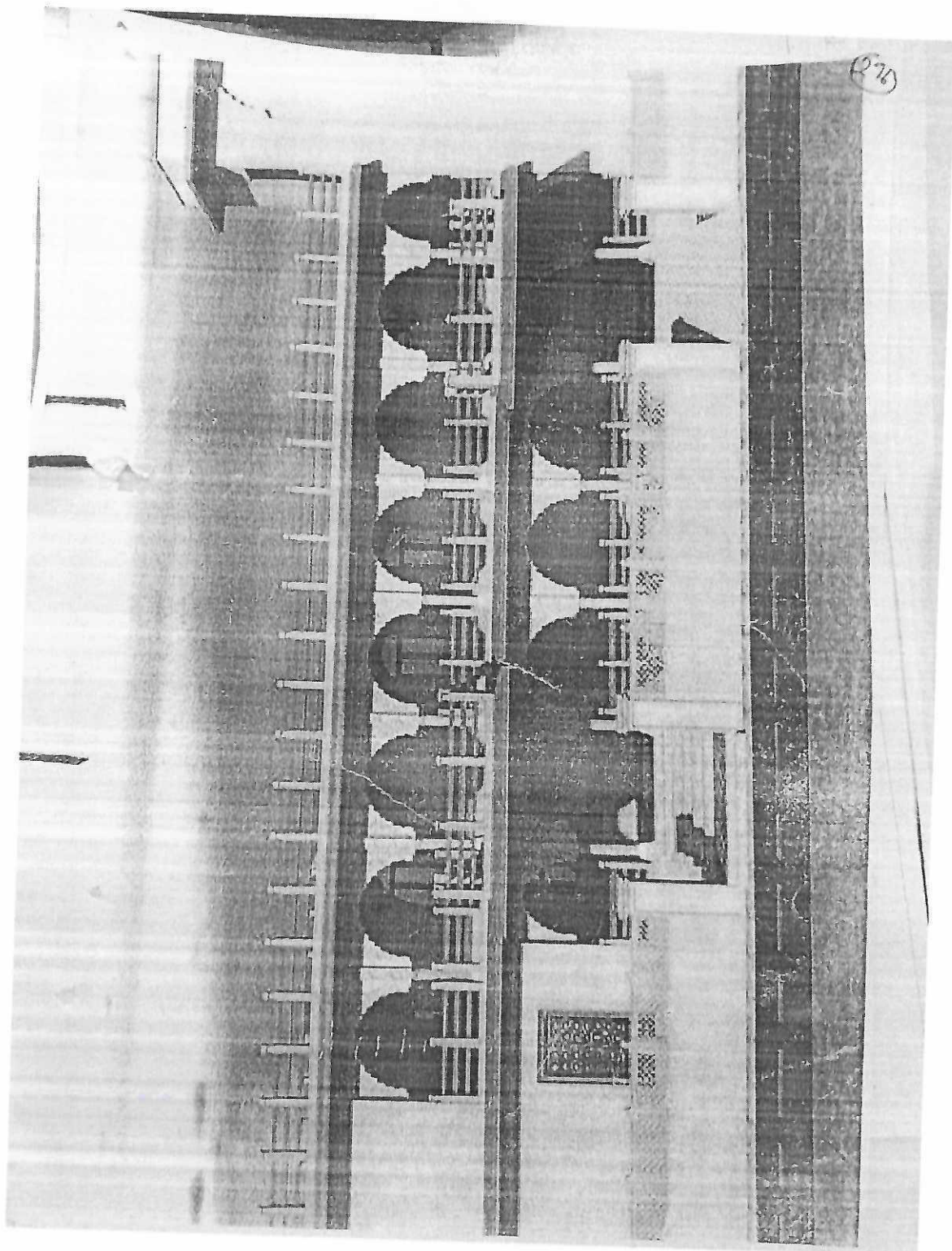
Digitally signed by Jateen Kumar Gandhi

Designation : Assistant Commissioner

Date: 2025.11.04 11:26:02 IST

Reason: Approved

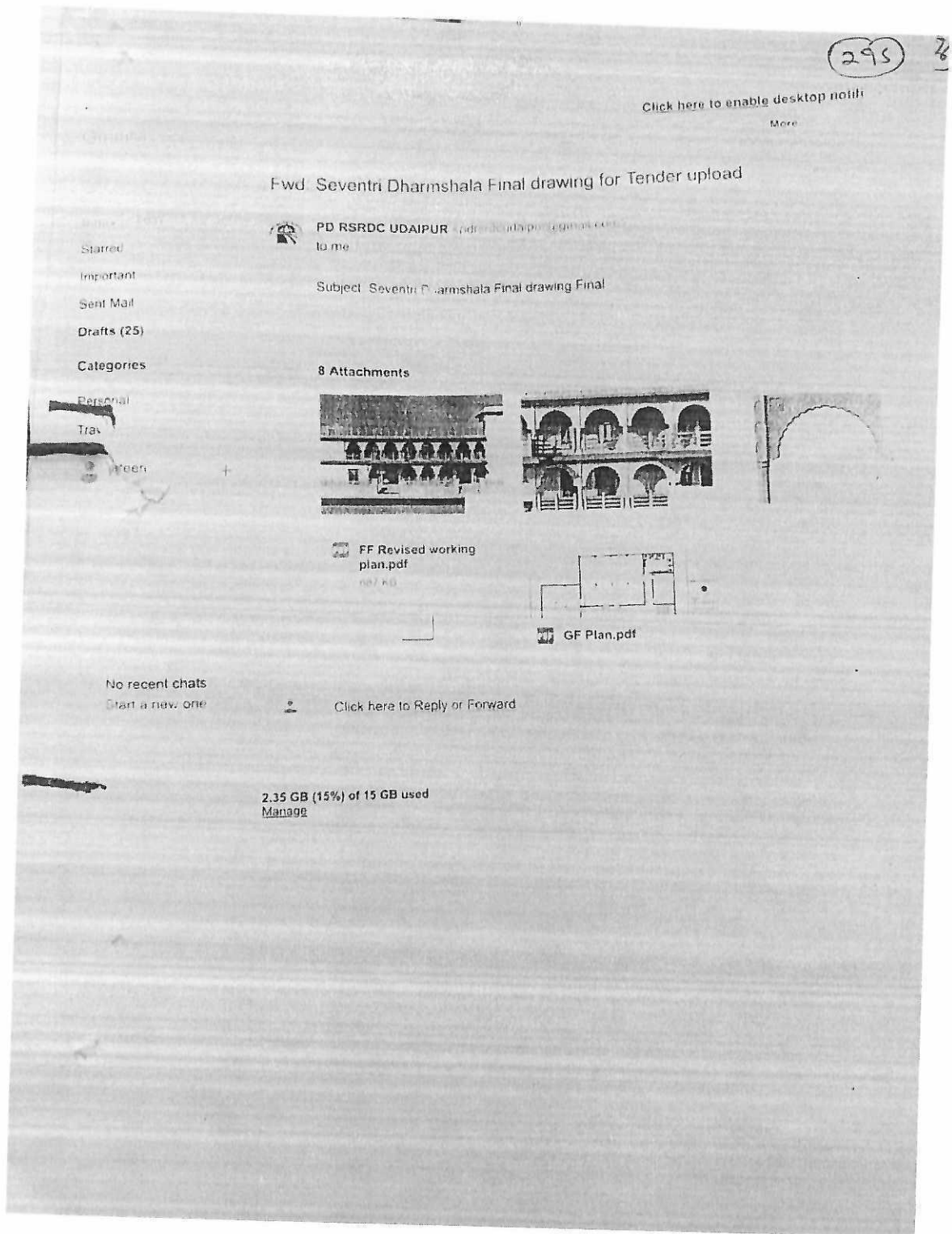
RajKaj Ref No.:
18633190



Signature valid

Digitally signed by Jateen Kumar
Gandhi
Designation : Assistant Commissioner
Date: 2025.11.04 11:26:02 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
18633190



Signature valid

Digitally signed by Jateen Kumar
Gandhi
Designation : Assistant Commissioner
Date: 2025.11.04 11:26:02 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
18633190

Annexure A: Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest

Any person participating in a procurement process shall-

- (a) Not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;
- (b) Not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;
- (c) Not indulge in any collusion, Bid rigging or anticompetitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;
- (d) Not misuse any information shared between the procuring entity and the bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;
- (e) Not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;
- (f) Not obstruct any investigation or audit of a procurement process;
- (g) Disclose conflict of interest, if any; and
- (h) Disclose any previous transgressions with any entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of interest.-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest.

A Conflict of interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

- (i) A bidder may be considered to be in conflict of interest with one or more parties in the bidding process if, including but not limited to:
 - (a) Have controlling partners/shareholders in common; or
 - (b) Receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or
 - (c) Have the same legal representative for purposes of the bid; or
 - (d) have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the bid of another bidder, or influence the decisions of the procuring Entity regarding the bidding process; or
 - (e) The bidder participates in more than one bid in a bidding process. Participation by a bidder in more than one bid will result in the disqualification of all bids in which the bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a bidder, in more than one bid; or
 - (f) the bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the goods, works or services that are the subject of the Bid; or
 - (g) Bidder or any of its affiliates has been hired (or proposed to be hired) by the procuring entity as engineer-in-charge/consultant for the contract.

Signature of bidder

Annexure B: Declaration by the Bidder regarding Qualifications

Declaration by the Bidder

In relation to my/our Bid submitted tofor procurement ofin response to their Notice inviting Bids No.....Dated..... I/wehereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012 that :

1. I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entry;
2. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the union and the state government or any local authority as specified in the Bidding Document.
3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
4. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;
5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition;

Date :

Signature of bidder

Place :

Name :

Designation :

Address :

Annexure C : Grievance Redressal during Procurement Process

The designation and address of the First Appellate Authority is Commissioner Devasthan Department Rajasthan Udaipur.

The designation and address of the Second Appellate Authority is Secretary Devasthan Department Rajasthan Jaipur.

(1) Filing an appeal:-

If any bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the procuring entity is in contravention to the provisions of the Act or the rules or the guidelines issued thereunder, he may file an appeal to First Appellate authority, as specified in the Bidding document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved:

Provided that after the declaration of a bidder as successful the appeal may be filed only by a bidder who has participated in procurement proceedings:

Provided further that in case a procuring entity evaluates the technical bids before the opening of the financial bids, an appeal related to the matter of financial bids may be filed only by a bidder whose technical bid is found to be acceptable.

- (2) The officer to whom an appeal is filed under Para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.
- (3) If the officer designated under Para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in Para (2), or if the bidder or prospective bidder or the procuring entity is aggrieved by the order passed by the first appellate authority, the bidder or prospective bidder or the procuring entity, as the case may be, may file a second appeal to second appellate authority specified in the bidding document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in Para (2) or of the date of receipt of the order passed by the first appellate authority, as the case may be.

(4) Appeals not to lie in certain cases:-

No appeal shall lie against any decision of the procuring entity relating to the following matters, namely:-

- (a) Determination of need of procurement
- (b) Provisions limiting participation of bidders in the bid process
- (c) The decision of whether or not to enter into negotiations
- (d) Cancellation of a procurement process
- (e) Applicability of the provisions of confidentiality

(5) From of Appeals:-

- (a) An appeal under Para (1) or (3) above shall be in the annexed form along with as many copies as there are respondents in the appeal.
- (b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.
- (c) Every appeal may be presented to first appellate authority or second appellate authority, as the case may be, in person or through registered post or authorized representative.

Signature of bidder (in case of appeal)

(6) Fee for filing Appeal:-

- (a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable.
- (b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a scheduled bank in India payable in the name of appellate authority concerned.

(7) Procedure for disposal of Appeal:-

- (a) The first appellate authority or second appellate authority as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing
- (b) On the date fixed for hearing, the first appellate authority or second appellate authority, as the case may be shall-
 - (i) Hear all the parties to appeal present before him; and
 - (ii) Peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.
- (c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the appellate authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.
- (d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the state public procurement portal.

Signature of bidder (in case of appeal)

FORM No. 1

[see rule 83]

Memorandum of Appeal under the Rajasthan
Transparency in Public procurement Act, 2012

Appeal No. of Before
the (First/Second Appellate authority)

- 1- Particulars of appellant :
 - (i) Name of the appellant :
 - (ii) Official address, if any:
 - (iii) Residential address :
 - 2- Name and address of the respondent(s):
 - (i)
 - (ii)
 - (iii)
 - 3- Number and date of the order appealed against and name and designation of the office/authority who passed the order (enclose copy), or a statement of a decision, action or omission of the procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved:
 - 4- If the Appellant propose to be represented by a representative the name and postal address of the representative:
 - 5- Number of affidavits and documents enclosed with the appeal:
 - 6- Grounds of appeal :
(Supported by an affidavit)
 - 7- Prayer :
- Place :
- Date :

Appellant's Signature

Annexure D: Additional Conditions of Contract

1. Correction of arithmetical errors

Provided that a financial bid is substantially responsive, the procuring entity will correct arithmetical errors during evaluation of financial Bids on the following basis:

- (i) if there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the procuring entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected;
- (ii) if there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and
- (iii) if there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

If the Bidder that submitted the lowest evaluated bid does not accept the correction of errors, its bid shall be disqualified and its bid security shall be forfeited or its bid securing declaration shall be executed.

2. Procuring Entity's Right to Vary quantities.

- (i) At the time of award of contract, the quantity of goods, works or services originally specified in the bidding documents may be increased or decreased, by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the bidding documents. It shall be without any change in the unit prices or other terms and conditions of the bid and the conditions of contract.
- (ii) If the Procuring entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the bidding document due to change circumstances, the bidder shall not be entitled to any claim or compensation except otherwise provide in the conditions of contract.
- (iii) In case of procurement of goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 50% of the value of goods of the original contract and shall be within one month

from the date of expiry of last supply. If the supplier fails to do so, the procuring entity shall be free to arrange for the balance supply by limited bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the supplier.

3. Dividing quantities among more than one bidder at the time of award (In case of procurement of Goods):-

As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the Bidder, whose Bid is accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature, then in such cases, the quantity may be divided between the Bidder, whose Bid is accepted and the second lowest Bidder or even more Bidder in that order, in a fair, transparent and equitable manner at the rates of the Bidder, whose Bid is accepted.

Assistant Commissioner -

Devasthan, Udaipur

Signature of bidder